

पत्रांक 194 (प्र०)/आ०प्र०

बिहार सरकार
आपदा प्रबंधन विभाग

प्रेषक,

आर० के० सिंह
प्रधान सचिव ।

सेवा में,

विशेष जिला पदाधिकारी,
अररिया/ मधेपुरा
जिला पदाधिकारी,
पूर्णिया/ सहरसा/ सुपौल/ मधेपुरा/ अररिया ।

पटना-15, दिनांक- 04 सितम्बर, 2008

महाशय,

राहत कैम्पों के संचालन से संबंधित सम्पूर्ण व्यय आपदा राहत कोष के अन्तर्गत विकलनीय है। इसका लेखा कैम्पवार एवं मदवार अलग रखा जाना है। आपके द्वारा कैम्पों की सूची प्रेषित की गई है। कृपया कैम्पवार प्रारंभ होने की तिथि अगले दो दिनों के अन्दर अधोहस्ताक्षरी को प्रेषित कर दिया जाए।

कतिपय कैम्प एन०जी०ओ० के द्वारा प्रारंभ किये गये एवं बाद में राज्य सरकार द्वारा उनको टेकओवर किया गया । उक्त कैम्पों के टेकओवर की सूची भी अधोहस्ताक्षरी को प्रेषित की जाए ।

विश्वासभाजन

af

(आर० के० सिंह)

प्रधान सचिव